तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जालाराम बनाम धारा :– 251ए प्रकरण सख्या :– 69/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता को सुना गया। राजस्व केम्प प्रशासन गावो के संग अभियान 2021 दिनांक 05.12.2021 को पटवार मण्डल धाधिया ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 117,116,115/1,99,114/4,114/5,114/6 जो कि मौके पर कदीमी एव स्थाई रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिस का निस्तारण दिनाक 05.12.2021 को स्वीकार किया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद खीयाराम द्वारा राजस्व अपील सख्या 316/2022 खीयाराम बनाम सरकार के रूप मे पेश की गई जो अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 23.06.2022 को स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के रिमांड आदेश से दिनांक 31.08.2022 को दर्ज किया तथा हितबद्व पक्षकारो को नोटिस जारी किए तथा नोटिस बाद तामील सलग्न पत्रावली है। पक्षकार भीखाराम की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा द्वारा वकालतानामा पेश दिनाक 21.11.2022 को पेश किया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्देशो की पालना मे तहसीलदार लूणी द्वारा नियमानुसार मौका की वस्तु स्थिति बाबत रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक/भू.अ/2022/3854 दिनांक 18.11.2022 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली की गई। अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज है। प्रकारण मे नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.11.2022 को मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई जिसमे वादग्रस्त स्थल मे खसरा नम्बर 100/2 के खातेदारान भीकाराम वगैरा ने मौके पर चल रहे रास्ते को रेकर्ड मे दर्ज करने मे आपत्ति की जबकि शेष हितबद्व व्यक्तियो ने कदमी रास्ते के रेकर्ड मे दर्ज हेतु सहमती प्रदान की है जिसका नजरी नक्शा रिपोर्ट मे साथ पेश है जिसमे खातेदारान के सहमती के रूप मे हस्ताक्षर हैं। चुंकि मौके पर कदीमी रास्ता होने के साथ मौका रिपोर्ट एव सलग्न दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्य प्रतीत होता है तथा इस बाबत किसी पक्षकार का खातेदारान को ऐतराज नही है परन्तु राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज बाबत खसरा नम्बर 100/2 के खातेदारान ने मौके पर आपत्ति पेश की परन्तु उस बाबत न्यायालय मे कोई जबाव या आपत्ति पेश नही की गई। साथ ही जहॉ तक रास्ते का प्रश्न है मौके पर रास्ता कदीमी होने बाबत कोई खडन नही है तथा रास्ते का अंकन होने बाबत राज्य सरकार के सर्व साधारण एव खातेदारान के लिए हितकर है तथा इस बाबत मोके पर रास्ता होने के अविडनीय साक्ष्य होने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इन तमाम परिस्थितियॉ मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विष्णु की ढाणी पटवार मण्डल धाधिया मे तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट दिनाक 18.11.2022 के अनुसार रास्ते के रूप मे इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे करे तथा तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट 18.11.2022 आदेश का अंग संमझा जावे तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner